

पत्रांक:- 15/एम 1-85/2013 (अंश)

शिक्षा विभाग
बिहार सरकार

प्रेषक,

डॉ० प्रो० रेखा कुमारी,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में

कुलसचिव,
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक2022

विषय :- कैटलिस्ट इस्टीमेट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड एडवान्स ग्लोबल एक्सीलेन्स, कॉमर्शियल प्लॉट नं०-5ए, रोड नं० 1ए, एस० के० पुरी पार्क, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 2130 दिनांक 20.07.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक R/PPU/1218/Aff-04/2022 दिनांक 15.06.2022 के आलोक में कैटलिस्ट इस्टीमेट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड एडवान्स ग्लोबल एक्सीलेन्स, कॉमर्शियल प्लॉट नं०-5ए, रोड नं० 1ए, एस० के० पुरी पार्क, पटना में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA, एवं B.Sc (IT) में अस्थायी संबंधन हेतु निर्गत आदेश के क्रम में अतिरिक्त एक यूनिट की बढ़ोतरी (60-60 सीट) तथा शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं 2024-25 के लिए संबंधित पाठ्यक्रम में 120-120 सीटों पर छात्रों के नामांकन हेतु सीटों के निर्धारण (एक अतिरिक्त यूनिट बढ़ोतरी सहित) की स्वीकृति निम्न निदेश के साथ प्रदान की जा जाती है:-

भविष्य में, राज्यपाल सचिवालय से व्यवसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित निर्गत होनेवाले परिनियम में अंकित मापदण्ड प्रश्नगत संस्था पर भी प्रभावी होगा।

सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रेखा कुमारी)

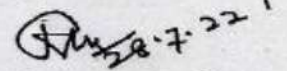
निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापक:- 15/एम 1-85/2013 (अंश)-2225

पटना, दिनांक 28.07.2022

प्रतिलिपि:- निदेशक, कैटलिस्ट इस्टीमेट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड एडवान्स ग्लोबल एक्सीलेन्स, कॉमर्शियल प्लॉट नं०-5ए, रोड नं० 1ए, एस० के० पुरी पार्क, पटना को सूचनार्थ एवं आपरपप कार्यार्थ प्रेषित

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



निदेशक, उच्च शिक्षा



PATLIPUTRA UNIVERSITY

PATNA-800020

E-mail: patliputrauniversity2018@gmail.com
registrar@ppup.ac.in

Ref.no:-.....

Date:-.....

अधिसूचना

सरकार के उपसचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 15/एम 1-85/2013 (अंश) - 2225 दिनांक 28.07.2022 के द्वारा कैंटलिस्ट इस्टीमेट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड एडवान्स ग्लोबल एक्सीलेन्स, कॉमर्शियल प्लॉट नं०- 5ए, रोड नं० 1ए, एस० के० पुरी पार्क, पटना को व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.SC (IT) में अस्थायी संबंधन हेतु निर्गत आदेश के क्रम में अतिरिक्त एक यूनिट की बढ़ोतरी (60-60 सीट) तथा शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं 2024-25 के लिए संबंधित पाठ्यक्रम में 120-120 सीटों पर छात्रों के नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण (एक अतिरिक्त यूनिट बढ़ोतरी सहित) की स्वीकृति निम्न निदेश के साथ प्रदान की जाती है :-

“भविष्य में, राज्यपाल सचिवालय से व्यवसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित निर्गत होनेवाले परिनियम में अंकित मापदण्ड प्रश्नगत संस्था पर भी प्रभावी होगा”।

ह०/-
(डॉ० जितेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

ज्ञापांक PPUP/2401/22

दिनांक 24.11.2022

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. प्राचार्य/सचिव, कैंटलिस्ट इस्टीमेट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड एडवान्स ग्लोबल एक्सीलेन्स, कॉमर्शियल प्लॉट नं०-5ए, रोड नं० 1ए, एस० के० पुरी पार्क, पटना।
2. डी०एस०डब्ल्यू०/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी, पी०पी०यू०, पटना।
3. महाविद्यालय निरीक्षक (विज्ञान) पी०पी०यू०, पटना।
4. माननीय कुलपति महोदय/प्रतिकुलपति महोदय/कुलसचिव के निजी सचिव, पी०पी०यू०, पटना।
5. वेब संयोजक, पी०पी०यू०, पटना को अपलोड करने हेतु।
6. संरक्षित संचिका।

(डॉ० जितेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।
24-11-2022

पत्रांक 15/एम 1-85/2013 (अंश)

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि० प्र० से०
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक— 2022

विषय:— कैंटलिस्ट इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस, कॉमर्शियल प्लॉट नं०-5A, रोड नं०-1ए, एस०के० पुरी पार्क, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक R/PPU/1218/Aff-04/2022 दिनांक 15.06.2022 द्वारा कैंटलिस्ट इंस्टीच्यूट ऑफ लॉ एण्ड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस, कॉमर्शियल प्लॉट नं०-5A, रोड नं०-1ए, एस०के० पुरी पार्क, पटना में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए अस्थायी संबंधन हेतु अनुशंसा प्राप्त हुआ।

गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कैंटलिस्ट इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस, पटना को विभागीय पत्रांक-2527 दिनांक 23.11.2021 द्वारा संबंधन की स्वीकृति एवं सीटों का निर्धारण किया गया था।

कैंटलिस्ट इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस, पटना का संबंधन हेतु महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन एवं नव शिक्षण कार्यक्रम समिति की बैठक में कैंटलिस्ट इंस्टीच्यूट ऑफ लॉ एण्ड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस, पटना का संबंधन हेतु प्रस्ताव पारित किया है तथा विश्वविद्यालय ने अपने अग्रसारण पत्र में भी यही नाम का उल्लेख किया है।

अतः विश्वविद्यालय, संस्था द्वारा प्रस्तावित नाम कैंटलिस्ट इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस, पटना के नाम से संतुष्ट होने के शर्त के साथ विभागीय पत्रांक-1288 दिनांक 26.05.2022 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र अध्यादेश एवं विनियम के आलोक में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए 60-60 सीटों पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव



बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि० प्र० से०
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक- 2021

विषय:- कैंटलिस्ट इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड एडभांस ग्लोबल एक्सीलेन्स, रोड नं०-5ए, एस०के० पुरी पार्क, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक R/PPU/1188/2021 दिनांक 09.02.2021 द्वारा कैंटलिस्ट इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड एडभांस ग्लोबल एक्सीलेन्स, रोड नं०-5ए, एस०के० पुरी पार्क, पटना में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में सत्र 2021-22 के लिए अस्थायी संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कैंटलिस्ट इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड एडभांस ग्लोबल एक्सीलेन्स, रोड नं०-5ए, एस०के० पुरी पार्क, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियम के आलोक में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 60-60 सीटों पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापनांक-15/एम1-85/2013 - 2527.

पटना, दिनांक 23.11.21.

प्रतिलिपि:- उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक कैंटलिस्ट इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड एडभांस ग्लोबल एक्सीलेन्स, रोड नं०-5ए, एस०के० पुरी पार्क, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

पत्रांक 15/एम1-85/2013

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि० प्र० से०

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक—

2020

विषय:— कैटलिस्ट इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड एडवांस ग्लोबल एक्सलेंस का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक PPU/ICA/78/2020 दिनांक 26.02.2020 द्वारा कैटलिस्ट इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड एडवांस ग्लोबल एक्सलेंस में स्ववित्त पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कैटलिस्ट इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड एडवांस ग्लोबल एक्सलेंस को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियमन के आलोक में स्ववित्त पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 60-60 सीटों पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

झापांक-15/एम1-85/2013 - 1264.

पटना, दिनांक 29.07.2020.

प्रतिलिपि:—उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कैटलिस्ट इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड एडवांस ग्लोबल एक्सलेंस को सूचनाार्थ एवं जानकारी के लिये प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव



PATLIPUTRA UNIVERSITY

PATNA-800020

E-mail:- patliputrauniversity2018@gmail.com
registrar@ppup.ac.in

Ref.no:-.....

Date:-.....

अधिसूचना

सरकार के उपसचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 15/एम1 - 85/ 2013 -1264 पटना, दिनांक 29/07/2020 के द्वारा कैटलिस्ट इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड एडवांस ग्लोबल एक्सलेंस को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियमन के आलोक में स्वचित पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 60-60 सीटों पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार

ह/-

(डॉ० जितेन्द्र कुमार)

कुलसचिव

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

ज्ञापंक:- R/PPU/216/2020.....

दिनांक:- 09/10/2020.....

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्राचार्य/ सचिव, कैटलिस्ट इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड एडवांस ग्लोबल एक्सलेंस।
2. डी०एस०डब्ल्यू०/ परीक्षा नियंत्रक/ वित्त पदाधिकारी, पी०पी०यू०, पटना को सूचनार्थ।
3. महाविद्यालय निरीक्षक (विज्ञान)/ (कला एवं वाणिज्य), पी०पी०यू०, पटना।
4. माननीय कुलपति/ कुलसचिव के निजी सचिव/ सहायक को माननीय के अवलोकनार्थ।
5. वेब संयोजक, पी०पी०यू०, पटना को अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

09/10/2020



PATLIPUTRA UNIVERSITY

PATNA-800020

E-mail:- patliputrauniversity2018@gmail.com

Ref. no: R/PPU/729/20

Date: 20.10.2020

To,
The Principal
CIMAGE
S.K Puri, Patna

Subject: Issue of College Code

Your College/Institution Catalyst Institute of Management & Advanced Global Excellence, S.K Puri, Patna is being allotted the College Code – 452 for the purposes of Registration and Examination only.

Important:

- The College has to provide a certificate of registration from Govt. of Bihar.
- College Code can be used for the purposes of registration and examinations only.
- The College Code shall be valid only for the period of affiliation of the College with the university/affiliating body.
- The College Code shall remain withdrawn/ suspended if the institution is found to violate the norms of affiliation.
- The college has to furnish a certified copy of the seats allotted in different subjects/courses and faculties in a soft (excel sheet) and hard copy.
- The principal of the college has to ensure that the number of students enrolled in various subjects should not exceed the allotted seats in any circumstances. The college is liable for disciplinary action for any violation for good conduct.

Copy to:

1. Controller of Examinations
2. Inspector of Colleges, Science/Arts & Commerce
3. FA/FO
4. PS to VC/PVC
5. Guard File


REGISTRAR
PATLIPUTRA UNIVERSITY
Patna
20/10/2020